न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील/टीए/1182/2006/टोंक

1. जयराम
2. आशाराम
3. शिवदास पुत्रगण छीतरलाल
4. सुरता पुत्री छीतरलाल
5. मु. बरजी बेवा छीतरलाल
6. हजारी पुत्र रंगलाल
7. कंवरपाल पुत्र रंगलाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम पागडी तहसील उनियारा जिला टौंक

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. गजानन्द पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी पागडी तहसील उनियारा जिला टोंक
2. राजस्थान सरकार द्वारा जिलाधीश, टोंक
3. तहसीलदार, उनियारा जिला टोंक

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित–

श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री थानेश्वर शर्मा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 23.08.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व

अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का प्रतिवादी सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 2342/1/2 रकबा 09बीघा 04बिस्वा भूमि, जिसके हाल सेटलमैन्ट में खसरा नम्बर 3606/4097, 3633 व 3606 कायम किये गये। उक्त भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु हाल सेटलमैन्ट में वादीगण की उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया, जिन्हें ऐसा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः विवादित आराजी के इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या–1 के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी के माध्यम से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–01–1992 से प्रत्यर्थी संख्या–1 को मूल वाद में प्रतिवादी संख्या–3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया परन्तु उसे पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाबदावा पेश करने के अवसर को बन्द किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर वादीगण अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–02–2003 से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–01–2006 से

आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण वादीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी कारण के प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 की अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में कानूनी भूल की है क्योंकि अपीलीय न्यायालय स्वयं ही गुणवगुण पर निर्णय पारित करने में सक्षम थी। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था किन्तु उसकी ओर से अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाबदावा पेश नहीं किया, जिस पर जवाबदावा पेश करने के अवसर को बन्द किया गया, जिसकी प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा आगे कोई चाराजोही नहीं की। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या–1 के विरूद्ध दो बार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश पारित किये गये, जो उसके प्रकरण के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करती है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या–1 को साक्ष्य के कई अवसर देने के पश्चात् दिनांक 12–05–2000 को प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 गजानन्द के बयान लिपिबद्ध किये गये है, जो पत्रावली में उपलब्ध है, इससे यह साबित होता कि प्रत्यर्थी संख्या–1 गजानन्द को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये गये थे। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन

तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 2007 आरआरटी I पेज 180 एवं 2007 आरआरटी I पेज 385 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2343/2 रकबा 20बीघा में से 10 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख में उनके पक्षकार के नाम खातेदारी में दर्ज है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार के अधिवक्ता की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके लिए पक्षकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रभावी रूप से पैरवी नहीं किये जाने से वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रतिवादी सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 2342/1/2 रकबा 09बीघा 04बिस्वा भूमि, जिसके हाल सेटलमैन्ट में खसरा नम्बर 3606/4097, 3633 व 3606 कायम किये गये। उक्त भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु हाल सेटलमैन्ट में वादीगण की उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया, जिन्हें ऐसा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः विवादित आराजी के इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या–1 के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी के माध्यम से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–01–1992 से प्रत्यर्थी संख्या–1 को मूल वाद में प्रतिवादी संख्या–3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया परन्तु उसे पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाबदावा पेश नहीं करने पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–01–1993 से जवाबदावा पेश करने के अवसर को बन्द किया जाकर मूल वाद को साक्ष्य वादी में नियत किया गया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–02–1994 से प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। आदेशिक दिनिांक 08–03–1994 के अनुसार प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से अधिवक्ता श्री कासलीवाल ने वकालतनामा व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने की प्रार्थना की गयी, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–06–1994 से 30/–रूपये हर्जाने पर स्वीकार किया

गया। इसके उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–03–1996 से प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये, जिसे निरस्त कराने हेतु अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 जाप्ता दीवानी का दिनांक 25–05–1996 को प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–06–1996 से 150/–रूपये कास्ट पर स्वीकार किया जाकर साक्ष्य वादी जिरह में पत्रावली नियत की गयी तथा आगामी तारीख पेशियों में अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से वादी के गवाहान से जिरह की गयी तथा आदेशिका दिनांक 6–8–1996 के अनुसार प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया गया। तत्पश्चात् आदेशिका दिनांक 12–05–2000 के अनुसार साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू–1 गजानन्द के बयान लिये गये तथा प्रकरण को शेष साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया गया। इसके उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–03–2001 से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी तथा प्रकरण को वास्ते बहस नियत किया गया एवं आदेशिका दिनांक 15–01–2003 से उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण निर्णय हेतु रिजर्व किया गया तथा दिनांक 13–02–2003 को विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया गया।

8. विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में लिखी गयी आदेशिकाओं के अवलोकन से यह भलीभांति स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या–3 प्रत्यर्थी संख्या–1 गजानन्द को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्राप्त हुआ है तथा प्रत्यर्थी संख्या–1 प्रतिवादी संख्या–3 विचारण न्यायालय के समक्ष अपने प्रकरण के प्रति लापरवाह रहा है, जिसके क्रम में उसकी ओर से न तो जवाबदावा पेश किया गया तथा दो बार एकतरफा कार्यवाही उसके विरूद्ध अमल में लाई गयी, जिसे प्रार्थनापत्र कास्ट पर स्वीकार कर पुनः मौका

प्रदान किया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या–1 को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णीत करना चाहिए था। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को अपील में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर भू–प्रबन्ध अधिकारी एव ंपदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–01–2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को सुनकर अपील को गुणावगुण के आधार पर अन्तिम रूप से निर्णीत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य